

3.5.18

पत्रावली अाण के मप कोर्ट में नपुरा में पेश हुई।
पत्रावली का अान पूर्ववा अवलोकन किया गया।
वादी प्रस्तुत वादपत्र के अरिमें प्रतिवादी अाण को
स्पाई मिषे अाणा से पाबन्द करवाना चाहता है।
पुकरण में वादी विवादित भूमि का स्वातेदार र्प
रिकार्ड नहीं है। शाम अंवर के र.न. 132 में स्वाते
ओम अाण को भी वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया
गया है। क र्क रिकार्ड स्वातेदारों का पाबन्द करवाने
का वादी को कोई अधिकार नहीं है। उक्त विवेका
से वादी का वादपत्र आधारहीन होने के कारण र्पारिप
किया जाता है। पत्रावली फंसल अुकार लेकर नगर
के काम से तथा दारिण फतर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी (अन्त)